

ग्राम विकास, लोकतंत्र तथा विज्ञान

भारत के लिए गौरव का विषय है कि विदेशों में, उद्योग तथा विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीय तथा भारतवंशी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, विश्व फलक पर भारतीय प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। कुछ दशक पहले भारत के विद्यार्थी इंग्लैन्ड, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों में पढ़ने के लिए जाते थे, आज विदेशों में भारतीय संस्थानों के स्नातकों की मांग बढ़ रही है। फिर क्या कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) में भारत का स्थान विश्व के सब से नीचे वर्ग में, नमीबिया तथा बोत्स्वाना, के बीच में आता है?

इस स्थिति का सब से बड़ा कारण है, सभी सरकारों द्वारा भारत के सब से बड़े वर्ग की समस्याओं को अनदेखा करना। यह वर्ग भारत के किसान तथा शहरी श्रमिकों तथा मिल-मजदूरों का है। किसान तथा मजदूर एक दूसरे से संबंधित हैं, रोज़ी-रोटी की तलाश में भूमिहीन किसान शहरों के मजदूर बन जाते हैं, वहां झोपड़-पट्टियों में रहने पर विवश हो जाते हैं। इस वर्ग में सभी धर्मी तथा जातियों के लोग हैं। किसानों की संख्या भारत की जनसंख्या का 74 प्रतिशत है, यदि इसमें शहरी मिलों के मजदूर तथा अन्य श्रमिकों को मिला दें, तो यह संख्या, भारत की जनसंख्या के 85 प्रतिशत तक पहुंच जाती है।

आज से बीस वर्ष पहले, सन् 1985 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गान्धी ने स्वीकार किया था कि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन का केवल 14 प्रतिशत धन गांवों तक पहुंचता है, शेष सरकारी कर्मचारी तथा गांव के बिचौलिये हड़प कर लेते हैं। जवाहर, इन्दिरा तथा प्रधान मंत्री रोज़गार योजनाओं का यही हाल हुआ है। हमें इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना होगा। इस वर्ग का विकास भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, इस के विकास से भारत विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ जायगा।

गांवों की हालत दिनों-दिन बिगड़ रही है। गांवों की बढ़ती हुई आबादी से भू-संपत्ति का विभाजन होता रहता है, वर्ष में आधे समय बेकारी रहती है, कुटीर उद्योग नहीं के बराबर हैं। गांव की संकरी गलियां, मलमूत्र तथा कीचड़ से भरी रहती हैं, कुपोषण तथा गंदगी के कारण अधिकांश व्यक्ति बीमारियों से पीड़ित बने रहते हैं, पांच वर्ष की आयु तक 12 प्रतिशत बच्चे मौत का शिकार बन जाते हैं। अशिक्षा के कारण परिवार नियोजन निष्प्रभावी है। गांवों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधायें न होने से गांव के पढ़े-लिखे लोग, गांव छोड़कर, शहरों में बस जाते हैं। हम बार-बार कहते हैं कि भारत विश्व का सब से बड़ा लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र की यही देन है?

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर 65 प्रतिशत है, लेकिन इसमें 35 प्रतिशत वे लोग भी शामिल हैं जो केवल हस्ताक्षर कर सकते हैं। भारत की आबादी एक अरब से अधिक हो गई है, यदि बढ़ोतरी का यही क्रम रहा तो, पच्चीस वर्षों में भारत की आबादी चीन से अधिक हो जायगी। स्मरण रहे, चीन का क्षेत्रफल भारत से लगभग तिगुना है।

ग्राम विकास के लिए हमें शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ना होगा, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषायें बनानी होंगी। शिक्षा में नैतिकता तथा विज्ञान को प्राथमिकता देनी होगी। पिछली दो शताब्दियों में विकसित देशों में जो भौतिक, बौद्धिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनमें विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ग्राम विकास के लिए निम्नलिखित दो सूत्री कार्यक्रम प्रस्तावित है।

1. यातयात के आधुनिक साधनों द्वारा शहरों तथा गांवों को अच्छी सड़कों द्वारा जोड़ना एक दूरगामी तथा खर्चीला काम है। इसे करने की आवश्यकता है। इंटरनेट के सूचना महामार्ग द्वारा ग्रामवासियों तक उनकी भाषा में आधुनिक ज्ञान विज्ञान पहुंचाना अपेक्षाकृत सस्ता सौदा है, शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खेद की बात है कि इस दिशा में काम करना तो दूर, कोई सोच-विचार भी नहीं करता है।

2. सभी विद्यार्थियों को कक्षा दस तक अनिवार्य शिक्षा, तथा वयस्कों को रात्रि पाठशालाओं में श्रुत्य-दृश्य (audio-visual) साधनों द्वारा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोगों की रोक-थाम, वैज्ञानिक नियमों की शिक्षा। सभी व्यक्तियों को नागरिक दायित्वों तथा उनके अधिकारों की जानकारी दिलाना। इस बात पर जोर देना कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए दायित्वों का निर्वाह आवश्यक है।

पचासी प्रतिशत जनता के उत्थान के लिए ऐसे अधिकारियों को चुनने की आवश्यकता है, जो प्रसन्नतापूर्वक गांवों में जाकर रहें, वहां की समस्यायें समझें, उनका हल निकालें, ठीक उसी तरह जैसे सेना के सिपाही तथा अफसर प्रभावित स्थानों पर जाकर रहते हैं। अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति तथा पदोन्नति के मूल्यांकन के लिए गांवों की परियोजनाओं के काम को उचित महत्व देना होगा। किसी योजना की मंजूरी के लिए सत्तर प्रतिशत सरकारी राशि के साथ तीस प्रतिशत ग्रामीण अनुदान की शर्त रखी जाय, ताकि विकास कार्य में जनता का भी योगदान हो। योजनाओं के क्रियान्वन में पारदर्शिता से उनका मनोबल बढ़ेगा और सम्पूर्ण भारत का विकास होगा।

राम चौधरी